न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 45/2026

अनवान :–

1. विजय पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम्

1. घड़सीराम पुत्र रामरख जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मसीतांवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. राजेन्द्र पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. बुधराम पुत्र हरीराम जाति मेघवाल निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–श्री महावीर वर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
श्री करनैलसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः 16/4/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से चकनं0 1 एम. एस. टी. एस. एम. के प0न0 201/337 मु0 17 किलानं0 21,22, व अप्रार्थी सं0 1 के नाम से चकनं० 1 एम. एस.टी. एस. एम. प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 1/1/.228 व अप्रार्थी सं0 2 के नाम से चकनं० 1 एम. एस.टी. एस. एम. प०न० 201/337 मु० 17 किलानं0 10/.253, 11/2/250 है० आराजी तथा अप्रार्थी सं0 3 के नाम से चकनं० 1 एम. एस. टी. एस. एम. प०न० 201/337 मु० 17 किलानं0 20/.247 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दीयाँ संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी को अपनी आराजी में आवागमन के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन के लिए चक नं० 1 एम. एस. टी. एस. एम. के प०न० 201/337 किलानं0 1,10,11, 20 मे से होकर अपनी भूमि किलानं0 21 मे प्रवेश करता चला आ रहा है जो रास्ता मौका पर चालू है तथा उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी मे आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि में चालू रास्ता से होकर अपनी आराजी मे प्रवेश करता चला आ रहा है लेकिन अप्रार्थीगण की भूमि चालू रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी, अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 की भूमि चक नं० 1 एम. एस. टी. एस. एम. के प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 1/1 मं .018 हे0 पश्चिमी दिशा, 10 में .018 है0 पश्चिमी दिशा 11/1/.001 है० पश्चिमी दिशा. 11/2/.017 है पश्चिमी दिशा, 20/1/.017 है० पश्चिमी दिशा, 20/2/.001 है० पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण स्वीकृत करवाकर, राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन करवाना चाहता है तथा रास्ता में आई भूमि के बदले में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को निम्न प्रकार से भूमि दी हुई है:–

क. अप्रार्थी सं० 1 घड़सीराम को प्राप्त आराजीः– चकनं० 1 एम. एस. टी. एस. एम. के प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 9 में पूर्वी दिशा की तरफ .018 है0

ख. अप्रार्थी संव 2 राजेन्द्र को प्राप्त आराजीः– चकनं० 1 एम.एस.टी. एस. एम. के प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 12 में उतरी दिशा की तरफ 035 है0 उतरी दिशा में

ग. अप्रार्थी सं0 3 बुधराम को प्राप्त आराजीः– चकनं० 1 एम.एस.टी. एस. एम. के प०न० 201/337 मु० 17 किलानं0 20/2/005, 21/2/010, 22/2/010 में रास्ता की भूमि छोड़कर

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई दफा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 के अनुसार अप्रार्थीगण अपनी आराजी में रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में

मु० रास्ता का अंकन करवा देवे तो अप्रार्थीगण मुझ प्रार्थी के निवेदन को मानने से कतई ़ार हो गये। बस यही बिनाय प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 1 ए आर0टी0ए0 प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 की भूमि चक नं० 1 ा. एस. टी. एस. एम. के प0न0 201/337 मु0 17 किलानं0 1/1 में .018 हे० पश्चिमी ़शा, 10 में .018 है० पश्चिमी दिशा, 11/1/001 है0 पश्चिमी दिशा, 11/2/.017 है० श्चिमी दिशा, 20/1/.017 है० पश्चिमी दिशा, 20/2/.001 है० पश्चिमी दिशा में उतर से ़क्षिण स्वीकृत करवाकर, राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता स्वीकृत कर, राजस्व रिकार्ड में ़ै०मु० रास्ता अंकन करने के आदेश फरमावे ।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण अप्रार्थीगण सं0 2 ता 3 की ओर की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में प्रार्थी के नाम से चकनं० 1 एम. एस. टी. एस. एम. के प०न० 201/337 मु० 17 किलानं0 21, 22, व अप्रार्थी सं० 1 के नाम से चकनं० 1 एम. एस.टी.एस.एम. प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 1/1/.228 व अप्रार्थी सं0 2 के नाम से चकनं० 1 एम. एस. टी. एस. एम. पवन० 201/337 मु0 17 किलानं0 10/.253, 11/2/.250 है0 आराजी तथा अप्रार्थी सं0 3 के नाम से चकनं० 1 एम. एस. टी. एस. एम. प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 20/.247 है0 कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्वीकार है प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज कथन कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आवागमन के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी आराजी में आवागमन के लिए चक नं० 1 एम. एस. टी. एस. एम. के प0न0 201/337 किलानं0 1,10,11,20 मे से होकर अपनी भूमि किलानं0 21 मे प्रवेश करता चला आ रहा है जो रास्ता मौका पर चालू है तथा उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी मे आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता नही है, स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में दर्ज तथ्य स्वीकार है । प्रार्थी हम अप्रार्थीगण की भूमि में चालू रास्ता से होकर अपनी आराजी में प्रवेश करता चला आ रहा है लेकिन अप्रार्थीगण की भूमि चालू रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है। इसलिए हम अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 की भूमि चक नं० 1 एम.एस.टी. एस. एम. के प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 1/1 में .018 हे0 पश्चिमी दिशा, 10 में .018 है० पश्चिमी दिशा, 11/1/. 001 है० पश्चिमी दिशा, 11/2/.017 है0 पश्चिमी दिशा, 20/1/.017 है० पश्चिमी दिशा, 20/2/.001 है० पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण स्वीकृत, राजस्व रिकार्डश में गै०मुव रास्ता का अंकन किया जाकर रास्ता में आई भूमि के बदले में प्रार्थी की भूमि में से हम अप्रार्थीगण को प्राप्त आराजी हम अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर प्रार्थी का हिस्सा कम किया जाता है तो हमें कोई एतराज नही है । रास्ता की भूमि के बदले में हम अप्रार्थीगण को निम्न प्रकार से भूमि दी हुई है:–

क. अप्रार्थी सं0 2 राजेन्द्र को प्राप्त आराजी – चकनं० 1 एम. एस. टी. एस. एम. के प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 12 में उतरी दिशा की तरफ .035 है0 उतरी दिशा में

ख. अप्रार्थी सं0 3 बुधराम को प्राप्त आराजी– चकनं० 1 एम. एस.टी.एस.एम. के प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 20/2/.005, 21/2/.010, 22/2/.010 में रास्ता की भूमि छोड़कर प्रार्थना पत्र की दफा 5 लाइल्मी दर्ज की गई है। प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है लिहाजा जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हम अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 की भूमि चक नं० 1 एम.एस.टी. एस.एम. के प०न० 201/337 मु० 17 किलानं0 1/1 मं .018 हे0 पश्चिमी दिशा, 10 में .018 है0 पश्चिमी दिशा, 11/1/.001 है० पश्चिमी दिशा, 11/2/.017 है० पश्चिमी दिशा, 20/1/.017 है० पश्चिमी दिशा, 20/2/.001 है० पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता अंकन कर जबाब प्रार्थना पत्र की दफा 4 के अनुसार भूमि हम अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन की जाती है तो हमें अप्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है । अप्रार्थीगण सं० 1 घड़सीराम की ओर से जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में प्रार्थी के नाम से चकनं० 1 एम.एस.टी. एस. एम. के प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 21, 22, व

ार्थी सं0 1 के नाम से चकनं0 1 एम. एस.टी.एस.एम. प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 1/.228 व अप्रार्थी सं0 2 के नाम से चकनं० 1 एम. एस. टी. एस. एम. प0न0 201/337 17 किलानं0 10/.253, 11/2/.250 है0 आराजी तथा अप्रार्थी सं0 3 के नाम से चकनं० एम. एस. टी. एस.एम. प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 20/.247 है0 कृषि भूमि दर्ज जस्व रिकार्ड होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 3 में दर्ज कथन कि प्रार्थी को अपनी राजी में आवागमन के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी अपनी आराजी में वागमन के लिए चक नं० 1 एम. एस. टी. एस. एम. के प0न0 201/337 किलानं0 10,11,20 मे से होकर अपनी भूमि किलानं0 21 मे प्रवेश करता चला आ रहा है जो रास्ता ोका पर चालू है तथा उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपनी आराजी मे आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता नही है, स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में दर्ज तथ्य स्वीकार है। ार्थी हम अप्रार्थीगण की भूमि में चालू रास्ता से होकर अपनी आराजी मे प्रवेश करता चला आ रहा है लेकिन अप्रार्थीगण की भूमि चालू रास्ता जो राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही है। इसलिए हम अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 की भूमि चक नं० 1 एम. एस. टी. एस. एम. के प0न0 201/ 337 मु० 17 किलानं0 1/1 मं .018 हे0 पश्चिमी दिशा, 10 में .018 है० पश्चिमी दिशा, 11/1/.001 है० पश्चिमी दिशा, 11/2/.017 है0 पश्चिमी दिशा, 20/1/.017 है0 पश्चिमी दिशा, 20/2/.001 है० पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण स्वीकृत, राजस्व रिकार्ड में गै०मुव रास्ता का अंकन किया जाकर रास्ता में आई भूमि के बदले में प्रार्थी की भूमि में से हम अप्रार्थीगण को प्राप्त आराजी हम अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर प्रार्थी का हिस्सा कम किया जाता है तो हमें कोई एतराज नही है । रास्ता की भूमि के बदले में अप्रार्थी सं0 1 घड़सीराम को प्राप्त आराजी चक नं० 1 एम.एस.टी. एस. एम. के प0न0 201/337 मु0 17 किलानं0 9 मे पूर्वी दिशा की तरफ .018 है0 आँराजी गै०मु० अंकित की जाती है तो मुझ अप्रार्थी सं0 1 को कोई उज्र व एतराज नही है । क्योकि हमारा आपस में समझौता हो गया है और मैने उक्त आराजी की समस्त राशि नगद वसूल कर ली है। प्रार्थना पत्र की दफा 5 लाइल्मी दर्ज की गई है। प्रार्थना पत्र की दफा 6 कानूनी है। लिहाजा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि हम अप्रार्थीगण सं० 1 ता 3 की भूमि चक नं० 1 एम.एस.टी. एस. एम. के प0न0 201/337 मु0 17 किलानं0 1/1 में .018 हे0 पश्चिमी दिशा, 10 में .018 है० पश्चिमी दिशा, 11/1/.001 है० पश्चिमी दिशा, 11/2/.017 है0 पश्चिमी दिशा, 20/1/.017 है० पश्चिमी दिशा, 20/2/.001 है० पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता अंकन कर रास्ता की भूमि के बदले में अप्रार्थी सं0 1 घड़सीराम को प्राप्त आराजी चक नं० 1 एम.एस.टी. एस. एम. के प0न0 201/337 मु० 17 किलानं0 9 मे पूर्वी दिशा की तरफ 018 है0 आराजी गै०मु० रास्ता अंकित की जाती है तो मुझ अप्रार्थी सं0 1 को कोई उज्र व एतराज नही है। बहस उभयपक्ष सुनी गयी दौराने बहस उभयपक्ष वकील उभयपक्ष ने सहमति प्रकट की मुताबिक जवाब मय प्रार्थी अनुतोष स्वीकार किया जावे इसी अनुसार हम प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण का राजीनामा है।

बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया तहसीलदार राजस्व टिब्बी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया मुताबिक तहसीलदार राजस्व टिब्बी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलाव प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अत प्रार्थना पत्र प्रार्थी आरटीए 251 ए प्रावधानों के सुसंगत होने एंव अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए स्वीकार किया जाकर चक नं० 1 एम. एस. टी. एस. एम. के प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 1/1 में .018 हे0 पश्चिमी दिशा, 10 में .018 है0 पश्चिमी दिशा 11/1/.001 है० पश्चिमी दिशा. 11/2/.017 है पश्चिमी दिशा, 20/1/.017 है० पश्चिमी दिशा, 20/2/.001 है० पश्चिमी दिशा में उतर से दक्षिण स्वीकृत किया जाता है। अप्रार्थी स0 1 घडसीराम के आराजी किला न0 1 में केवल गै0मु0 रास्ते का अंकन किया जावे, अप्रार्थी स0 2 व 3 को रास्ते में आयी भूमि के बदले में प्राप्त आराजी क.

अप्रार्थी सं0 2 राजेन्द्र को प्राप्त आराजी – चकनं० 1 एम. एस. टी. एस. एम. के प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 12 में उतरी दिशा की तरफ .035 है0 उतरी दिशा में

ख. अप्रार्थी सं0 3 बुधराम को प्राप्त आराजी– चकनं० 1 एम. एस.टी.एस.एम. के प०न० 201/337 मु0 17 किलानं0 20/2/.005, 21/2/.010, 22/2/.010 में रास्ता की भूमि छोड़कर इसी अनुसार अंकन कर इसी अनुसार अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज किया जाकर प्रार्थी का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 16/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।